

आर्थिक ऐन, २०७४

कालिका गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना

कालिका गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम कालिका गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन २०७४” रहेको छ ।

२ यो ऐन २०७४ साल श्रावण १ गते देखि कालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुने छ ।

२. सम्पति कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि १ बमोजिम एकिकृत सम्पति कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ ।

३. भूमि कर (मालपोत): गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (२) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ

४. घर बहाल कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूचि ३ बमोजिम घरजग्गा बहाल कर लगाइने र असूल गरिने छ ।

५. व्यवसाय कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यावसाय वा सेवामा पूँजिगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूचि (४) बमोजिम व्यावसायकर लगाइने र असूल उपर गरिने छ ।

६. जडिवुटि, कबाडि र जिवजन्तु कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबटी, बनकस, कबाडिमाल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जिवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जिवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूचि (५) बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ

७. सवारी साधन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (५) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुने छ ।

८. विज्ञापनकर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुने छ ।

९. मनोरञ्जन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (८) बमोजिम व्यावसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ तर प्रदेश कानून स्वीकृत भइ सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुने छ ।

१०. बहाल विटौरी शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूचि (९)मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यवस्था अनुसार कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ

११. पार्किङ शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधन लाइ पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूचि (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

१२. ट्रेकिङ ,कोयोकिङ, क्यानोइङ, बन्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र च्याप्टिङ शुल्क: गाउँ पालिका क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ, कोयोकिङ,क्यानोइङ, बन्जी जम्पीङ, जिपफ्लायर र च्याप्टिङ सेवा वा व्यावसाय संचालन गरेबापत अनुसूचि (११) बमोजिम शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१३. सेवा शुल्क, दस्तुर: गाँउपालिकाले निर्माण सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूचि १२ मा उल्लेखित स्थानिय पुर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१४. पर्यटन शुल्क: गाँउपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची १३ मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने छ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१५. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन । तर एकल रुपमा बसोबास गरी आएका व्यक्ति जसको एकाघरमा कोही पनि व्यक्ति नभएको वा भएता पनि अपाङ्ग, अशक्त र ७० वर्ष भन्दा माथिका अशक्त बृद्ध बद्धा मात्र भएको भन्ने कुरामा कार्यपालिका सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो परिवारलाई घरधुरी कर गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले छुट दिन सक्नेछ । क-कसलाई कर छुट गरिएको हो सो को प्रतिवेदन अर्को गाउँसभामा कार्यपालिकाले पेश गर्नुपर्नेछ ।

१६. कर तथा सुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि गाँउपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । साथै यस अगाडि यस आ.व. शुरु भएपछि २०७४ श्रावण १ गतेबाट उठाइएको राजस्व यसै ऐन बमोजिम उठाएको मानिनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०७४ का अनुसूचिहरु

अनुसूचि- १

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा २ संग सम्बन्धित

सम्पति कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रतिवर्ष |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| १ | घर धुरी कर | |
| | क) कच्ची घर | २००। |
| | ख) एक तले पक्की घर | ३००। |
| | ग) दुई तले पक्की घर | ५००। |
| | घ) तीन तले र सो भन्दा माथिको पक्की घर | १०००। |

अनुसूचि- २

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ३ संग सम्बन्धित

भूमि कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रतिवर्ष |
|--------|--------------------|-----------------|
| १ | १ रोपनी भन्दा कम | २५। |
| २ | ५ रोपनी सम्म | १००। |
| ३ | १० रोपनी सम्म | २५०। |
| ४ | २० रोपनी सम्म | ६००। |
| ५ | २० रोपनी भन्दा बढी | १०००। |
| | हर्जना / जरिवाना | २०% /प्रति वर्ष |

अनुसूचि- ३

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ४ संग सम्बन्धित

घर बहाल कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रतिवर्ष |
|--------|--|---------------|
| १ | भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम,टहरा, छप्पर वा जग्गा पुरै वा आंशिक भाडामा दिएकोमा सो दरको | ५% |

अनुसूचि- ४

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ५ संग सम्बन्धित

व्यवसाय कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रतिवर्ष |
|--------|---|---------------|
| १ | व्यापारिक वस्तु | |
| | १.१ सुन चाँदीका सामान तयारी र विक्री | १०००। |
| | १.२ भिडियो क्यासेट रेकर्डर तथा प्लेयर उत्पादक | ७५०। |
| | १.३ मोबाईल मर्मत तथा विक्री | १२००। |
| | १.४ चुरोट, रक्सी | |

| | |
|--|-------|
| (क) थोक विक्रेता | २०००। |
| (ख) खुद्रा विक्रेता | १५००। |
| १.५ हलुका पेय पदार्थ थोक विक्रेता | १०००। |
| १.६ निर्माण सामग्री | |
| (क) सिमेन्ट, छड र धातुका निर्माण सामग्री पसल | २५००। |
| (ख) कुनै एक किसिमका निर्माण सामन मात्र | १०००। |
| १.७ कम्प्युटर र सो का सामान विक्री गर्ने पसल | १०००। |
| विद्युत् पसल | |
| (क) विजुलीका सामान थोक विक्रेता | १०००। |
| (ख) विजुलीका सामान खुद्रा विक्रेता | ५००। |
| १.९ रेडियो, घडी विक्री | १०००। |
| १.१० फर्निचरका सामान तथा कार्पेट पसल | ७५०। |
| १.११ पेट्रोलियम पदार्थ | |
| (क)आयल निगमको डिलर भई पेट्रोलियम पदार्थ विक्री | ५०००। |
| (ख) खुद्रा ग्याँस विक्री | ५००। |
| १.१२ टेलिभिजन तथा फ्रिज पसल | ५००। |
| १.१३ खाद्यान्न किनारा पसल | |
| (क) सबै किसिमका किराना सामानको थोक विक्रेता | २०००। |
| (ख) सबै किसिमका किराना खुद्रा विक्रेता | १२००। |
| (ग) किराना मात्र भएको सामान | ५००। |
| (घ) फलफुल तथा तरकारी पसल | ५००। |
| (ङ) खाद्यान्नको मात्र पसल | ७५०। |
| १.१४ कपडा पसल | |
| (क) रेडिमेड कपडा पसल | १२००। |
| (ख) अन्य कपडा पसल | १२००। |
| १.१५ कृषि तथा पशु सम्बन्धी पसल | |

| | | |
|---|--|-------|
| | क) किट नाशक औषधी तथा विउविजन | १०००। |
| | ख) पशुपक्षिको औषधी आदी | १०००। |
| | ग) मलखाद पसल | १०००। |
| | १.१६ मासु पसल | १०००। |
| २ | परामर्श तथा व्यवसायक सेवा | |
| | २.१ सामान ढुवानी कर्ता कम्पनी | १०००। |
| | २.२ परामर्शदाता कम्पनी | ७५०। |
| ३ | निर्माण व्यवसाय | |
| | ३.१ क वर्ग | ५०००। |
| | ३.२ ख वर्ग | ४०००। |
| | ३.३ ग वर्ग | ३०००। |
| | ३.४ घ वर्ग | २००० |
| ४ | उद्योग | |
| | ४.१ उत्पादनमूलक उद्योग | |
| | (क) उद्योग (इट्टा, पिउने पानी) | २०००। |
| | (ख) घरेलु तथा साना उद्योग | ५००। |
| | (ग) वेल्डीङ तथा ग्रील पसल | १०००। |
| | ४.२ फर्निचर उद्योग | |
| | (क) टूली समेत रहेको फर्निचर उद्योग | ३०००। |
| | (ख) स-मिल तथा उच्च स्तरको फर्निचर उद्योग | २०००। |
| | (ग) सामान्य फर्निचर उद्योग | १०००। |
| | ४.३ उर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वनजन्य उद्योग | |
| | (क) एक करोड देखि माथी पूजा भएको | ३०००। |
| | (ख) सो भन्दा मुनी १० लाखसम्मको | २०००। |
| | ४.४ खनिज उद्योग | १५००। |
| ५ | पर्यटन | |
| | (क) होटल, लज रिसोर्ट, तथा रेष्टुरेण्ट | २०००। |
| | (ख) चिया तथा खाजा पसल | ५००। |
| | (ग) कपाल काट्ने पसल | ७५०। |
| | (घ) ब्यूटी पार्लर पसल | ५००। |
| ६ | सेवा उद्योग | |
| | ६.१ सिनेमा हल | ५००। |
| | ६.२ अफसेट प्रेस | ५००। |

| | | |
|---|--|--------|
| | ६.३ कोल्ड स्टोर तथा फाष्टफुड पसल | ५००१ |
| | ६.४ सार्वजनिक परिवहन बुकिङ्ग | ५००१ |
| | ६.५ मोटरसाईकल वर्क शप | ७५०१ |
| ७ | निर्माण उद्योग | १०००१ |
| ८ | संचार सेवा | |
| | ८.१ फोन, प्याक्स, इमेल, इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी व्यवसाय | ५००१ |
| | ८.२ कुरियर सेवा | ५००१ |
| | ८.३ छपाई तथा प्रकाशन गर्ने फर्म | ७५०१ |
| ९ | पत्रपत्रिका तथा स्टेशनरी पसल | १०००१ |
| १० | वित्तीय सेवा | |
| | १०.१ निजी क्षेत्रका आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था क वर्ग | ६०००१ |
| | १०.१ निजी क्षेत्रका आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था क वर्ग | ५००० |
| | ख वर्ग | ४५०० |
| | १०.२ आर्थिक कारोबार गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | १००००१ |
| | १०.३ बिमा कम्पनी/काउण्टर | ५०००१ |
| | १०.४ विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर | १०००१ |
| | १०.५ धितोपत्र कारोबार | १०००१ |
| ११ | स्वास्थ्य सेवा | |
| | ११.१ गैह्र सरकारी अस्पताल | ५०००१ |
| | ११.२ नर्सिङ्ग होम | ५०००१ |
| | ११.३ क्लिनिक तथा ल्याब | १५००१ |
| | ११.४ फार्मसी तथा औषधी पसल | १०००१ |
| १२ | पशुपक्ष तथा कृषि व्यावसायिक फर्म | ७५०१ |
| १३ | गाउँपालिकाले तोकेको स्थानमा तथा नियमानुसार सार्वजनिक स्थलमा ठेला गाडामा राखी व्यवसाय गर्ने लाई | ५००१ |
| १४ | घरेलु मिल | ५००१ |
| | १४.१ कुटानी पिसानी मिल | ५००१ |
| | १४.२ तेल पेल्ले समेत भएको मिल | ७५०१ |
| एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढि व्यवसाय एकै ठाउँमा संचालन गरेमा व्यवसायको लागि तोकिएको शुल्क मध्ये अधिकतम जुन व्यवसायको छ सोहि वमोजिम शुल्क लाग्ने छ । | | |

अनुसूचि- ५

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ६ संग सम्बन्धित

वन पैदावार, कवाडी र जीवजन्तु कर

| सि.नं. | विवरण | दर |
|--------|-------|----|
|--------|-------|----|

| | | |
|----|------------------------------|-------------------|
| १. | रुख कटान सिफारिस | ५०१/ प्रति रुख |
| २. | वन पैदावार निकासी | |
| | (क) काठ | ५१/प्रति क्यू.फि. |
| | (ख) जडिवुटी तथा अन्य वनस्पती | ५१/प्रति के.जी. |
| ३. | कवाडी सामान प्रति ट्रिप | २०००१ |
| | बोरामा लगेमा | रु १० प्रतिबोरा |

अनुसूचि- ६

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ७ संग सम्बन्धित

सवारी साधन कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रति वर्ष | कैफियत |
|--------|--|----------------|---|
| १ | गाउँपालिका भित्र दर्ता भएका सवारी साधन | | अध्ययन गरी आगामी सभाबाट पारित गरी आ.व. बाट लिने |

अनुसूचि- ७

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ८ संग सम्बन्धित

विज्ञापन कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रति वर्ष | कैफियत |
|--------|---------------------------------|----------------|---|
| १ | ठूला होर्डिङ्ग बोर्डमा विज्ञापन | | अध्ययन गरी आगामी सभाबाट पारित गरी आ.व. बाट लिने |

अनुसूचि- ८

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ९ संग सम्बन्धित

मनोरञ्जन कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रति वर्ष | कैफियत |
|--------|-------------------|----------------|---|
| १ | सिनेमा हल सञ्चालन | | अध्ययन गरी आगामी सभाबाट पारित गरी आ.व. बाट लिने |

अनुसूचि- ९

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १० संग सम्बन्धित

बहाल विटौरी कर

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रति वर्ष | कैफियत |
|--------|---|----------------|---|
| १ | गाउँपालिका भित्रका गाउँपालिकाका पसल/सटर | | अध्ययन गरी आगामी सभाबाट पारित गरी आ.व. बाट लागू गर्ने तयारी |

अनुसूचि- १०

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ११ संग सम्बन्धित

पार्किङ्ग शुल्क

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रतिवर्ष | कैफियत |
|--------|--|---------------|---|
| १ | वडा नं. १ भित्रका बजारमा पार्किङ्ग शुल्क | | अध्ययन गरी आगामी सभाबाट पारित गरी आ.व. बाट लागू गर्ने तयारी |
| २ | वडा नं. २ भित्रका बजारमा पार्किङ्ग शुल्क | | |
| ३ | वडा नं. ५ भित्रका बजारमा पार्किङ्ग शुल्क | | |

अनुसूचि- ११

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १२ संग सम्बन्धित

ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ज्याफिटिङ्ग शुल्क

| सि.नं. | विवरण | दर /प्रतिवर्ष | कैफियत |
|--------|---|---------------|---|
| १ | ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ज्याफिटिङ्ग शुल्क | | अध्ययन तथा पूर्वधार तयार गरी आगामी सभाबाट पारित गरी आ.व. बाट लागू गर्ने तयारी |

अनुसूचि- १२

आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १३ संग सम्बन्धित

सेवा शुल्क, दस्तुर

| सि.नं. | विवरण | दर |
|--------|--|--------|
| १ | नागरिकता सिफारिस | १००। |
| २ | नागरिकता प्रतिलिप सिफारिस | २००। |
| ३ | चार किल्ला प्रमाणित प्रति किल्ला सिफारिस | ३००। |
| ४ | घरबाटो सिफारिस | २००। |
| ५ | नाता प्रमाणित | ३००। |
| ६ | जन्म प्रमाणित | २००। |
| ७ | विवाह प्रमाणित | १००। |
| ८ | नाबालक प्रमाणित | २००। |
| ९ | आम्दानी प्रमाणित अंग्रेजीमा समेत मूल्यांकित रकमको | ०.०२५% |
| १० | सम्पत्ति तथा जग्गाको मूल्याङ्कन सिफारिस अंग्रेजीमा समेत मूल्यांकित रकमको | ०.०२५% |

| | | |
|----|--|---|
| ११ | घर भएको/नभएको प्रमाणित | १००। |
| १२ | नामसारी सिफारिस | १००। |
| १३ | अग्रेजीमा नाता प्रमाणित | ५००। |
| १४ | अग्रेजीमा जन्म प्रमाणित | ५००। |
| १५ | अग्रेजीमा विवाह प्रमाणित | ५००। |
| १६ | अग्रेजीमा नाबालक प्रमाणित | ५००। |
| २१ | कित्ताकाट सिफारिस | २००।/प्रति कित्ता |
| २२ | मोही लगत कट्टा | २००। |
| २३ | विद्यालय कक्षा थप | २५००। |
| २४ | खानेपानी जडान | १००। प्रति धारा |
| २५ | संस्था दर्ता, नविकरण खारेजी र अनुमति शुल्क | ५००। |
| २६ | रेडियो संचालन अनुमति, नविकरण, खारेजी शुल्क | १०००। |
| २७ | केवल ईन्टरनेट, टेलिभिजन प्रसारण, अनुमति र नविकरण शुल्क | १०००। |
| २८ | घटना दर्ता (जन्म,मृत्यु, विवाह, वसाइ सराइ र सम्बन्ध विच्छेद) शुल्क | ५०। |
| २९ | विजुली मिटर सिफारिस | १००। (साधारण घरमा) २५०। (पक्की घरमा) |
| ३० | नयाँ विद्यालय दर्ता सिफारिस | ५०००। |
| ३१ | अस्थायी बसोवास सिफारिस | ५००। |
| ३२ | स्थायी बसोवास सिफारिस | ५००। |
| ३३ | फरक फरक नाम थर सिफारिस | १००। |
| ३४ | तिन पुस्ते प्रमाणित | १५०। |
| ३५ | हिज्जे फरक भएको सिफारिस | १००। |
| ३६ | मृतकको हकदार प्रमाणित | २००। |
| ३७ | जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा सिफारिस | १००। |
| ३८ | कर चुक्ता | ५००। |
| ३९ | गैह्र सरकारी संस्था प्रमाणपत्र | १५००। |
| ४० | व्यवसाय बन्द | २००। |
| ४१ | फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्क | |
| | व्यापारिक रुपमा निस्किएका फोहोरको शुल्क कम्तिमा | रु. ५००। प्रति महिना |
| | व्यक्तिगत रुपमा निस्किएका फोहोरको शुल्क कम्तिमा | रु. २००। प्रति महिना |
| ४२ | घर/भवनको नक्शा पास शुल्क | रु. ५। /प्रति घ.मि. |
| ४३ | उद्योग व्यावसाय दर्ता सिफारिस | ५००। |
| | सिफारिसका लागी मुचुल्का तयार गर्नु परेमा सिफारिस दस्तुरमा थप | २००। |